FORM NO- III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत ..... उपखंड अधिकारी ..... मुकाम ..... बयाना .....

कालू गोड़ बनाम रामए ओर कोर

किस्म मुकदमा ..... प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट ..... नं. 166/23 ..... सन .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/7/23	एडवो प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र धारा 212 RT Act के तहत पेश किया। हाजिर एडवो प्रार्थी की एक-पक्षीय बहस सुना। पत्रावली के कागजात का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान को अन्तरिम आवाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 5/10/23 तक इस बारे में पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थना पत्र की सच्चाई बारे वाकिफ आराजी पात्र वादी ग्राम नहोली तह० बयाना के मौके की यथास्थिति बनाए रखें। उभय पक्षकारान एक-दूसरे के कब्जे काश्त की आराजी के किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। इस बाबत कोई आपत्ती होने पर निकट तारीख पेशी को न्यायालय हाजिर उपस्थित हों। तामील दर्ज रजिस्टर हो। अभिभाषकगण की मौजूदगी में तारीख दिनांक 5/10/23 को पेश हो।	

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/5/25	पीठासीन अधिकारी ..... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/5/25 को पेश हो रीडर ओ./एस.डी.एम	
8/5/25	वकुलाय उपस्थित। प्रकरण पूर्वानुसार कार्यवाही अग्रवाद के साथ दिनांक 30/5/25 को पेश हो।	
30/5/25	वकुलाय उपस्थित। प्रकरण पूर्वानुसार दिनांक 09/05/2025 को पेश हो।	
9/5/25	वकुलाय उपस्थित। मूल वाद आदेश 7 नियम 11 सपठित के तहत खारिज हो चुका है अब वाद के खारिज होने की स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार होकर अब कोई औचित्य नहीं रहा है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद के खारिज होने की स्थिति में दूसरी तरफ खारिज किया जाता है। मुकदमा क्रमांक होकर नम्बर ए कर दी दाखिल दफ्तर हो।	